कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 994/नक्शा/जि0पं0/2015–2016 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015

मेसर्स बिल्डिया कान्ट्रेक्शन प्रा0लि0
ग्रामसभा बसहा
विकास खण्ड बख्शी का तालाबद
तहसील बख्शी का तालाब
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा बसहा तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 224, 497क में व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के कुल कवर्ड एरिया 7143.70 वर्गमीटर हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 7143.70 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
5–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 3208 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2020–2021 दिनांक 15 ~~अगस्त~~ अक्टूबर, 2020

मेसर्स बिल्डिया कान्स्ट्रेक्शन प्रा0लि0
ग्राम बसहा
विकास खण्ड–बख्शी का तालाब
तहसील–बख्शी का तालाब
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2020 पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ के पत्र संख्या 994 / नक्शा / जि0पं0 / 2015–2016 दिनांक 29 अक्टूबर 2015 के कम में ग्रम बसहा, विकास खण्ड बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 224, 493 में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार प्लाटेड एरियां 7143.70 वर्गमीटर में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु आपको अतिरिक्त समयवृद्वि दो वर्षो के लिए अन्तिम रूप से प्रदान की जाती है। इसके उपरान्त आपको कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता
जिला पंचायत, लखनऊ।

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक ५०मे० /जि0पं0/2022–2023 दिनांक 30 सितम्बर, 2022

मेसर्स बिल्डिया कान्स्ट्रेक्शन प्रा0लि0
ग्रमसभा–बसहा
विकास खण्ड बख्शी का तालाब
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ के पत्र संख्या 994 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 अनुसार 7143.70 वर्गमीटर में मानचित्र स्वीकृत किया गया था, जिसे पूर्ण कराये जाने हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि दो वर्षो तक अर्थात दिनांक 26.09.2024 तक अन्तिम बार प्रदान की जाती है, जिसके पश्चात् कोई अतिरिक्त समयवृद्धि देय न होगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।